न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 04/2019, जी.सी.एम.एस. नं. 2019/00039

1. गंगाधर पुत्र ओंकार जाति मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी

अपी0

बनाम

1. मुकेशी पुत्री लोहड्या
2. राजन्ती पुत्री लोहड्या
3. जन्मन्ती पुत्री लोहड्या
4. भूरया बाई पुत्री लोहड्या
5. रामखिलाडी पुत्र लालचंद
6. प्रेमराज पुत्र लालचंद

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मु0न0 153/2017 निर्णय दिनांक 17.12.2018)

उपस्थित अभिभषाक
1. अपीलांट की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री प्रेम प्रकाश जोशी

29.9.21

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

निर्णय दिनांक 29.09.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 153/2017 निर्णय दिनांक 17.12.2018 न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपी0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट वास्ते ... का प्रस्तुत किया गया कि आराजी हाल ख.नं. 355 रकबा 1.59 है. ... मुराडा तहसील गंगापुर सिटी की हैं जिसकी खातेदारी सायलान/अपी0 के नाम ... सायलान/अपी0 ही उक्त विवादित आराजीयात को बहैसियत खातेदार काबिज रहकर लगातार काश्त करता चला आ रहा है एवं सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। सायलान/अपी0 ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जिसकी पूर्ति द्रव्य में संभव नहीं हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर रिसीवर को भूमि कब्जे में लेने के आदेश फरमावें तथा भूमि को हक, काश्त नीलामी व आय व्यय का हिसाब रखने का भी रिसीवर को आदेश फरमावें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। सायलान/अपी0 का प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपी0/सायलान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0/सायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.12.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र रिसीवर में अपी0 द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन नहीं किया जाकर अपना आदेश पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वंय के विवेक के आधार पर उत्पन्न तथ्यों को आधार बनाकर आदेश पारित किया गया है, जबकि आक्षेपित आदेश में आधार बनाये गये अभिकथन न तो रेस्पों. पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं और न ही रेस्पों. पक्ष की ओर से कोई दस्तावेज पेश किए गए है। इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपी0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिसीवर में वर्णित आराजी ख.नं. 355 रकबा 1.59 है0 भूमि स्थित ग्राम रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी का अंकन गलत दर्शाया गया है। साविक ख.नं. 223/14 से सैटलमेंट द्वारा ख.नं. 355 रकबा 1.59 है0 रकबा बनाया गया है। अपी0 ने हाल ख.नं. 355 रकबा 1.59 है0 भूमि का साविक खसरा नम्बर व रकबा जानबूझकर दर्ज नहीं किया गया है। जमाबंदी सम्बत् 2025 ल0 2028 से स्पष्ट है कि अनदेखी की गई है। उक्त भूमि रेस्पों. की स्पष्ट रूप से कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें रेस्पों. के [illegible] कुंआ कोठी का निर्माण किया हुआ है तथा पुरखों के समय से [illegible] भूमि में रि[illegible] मकानात व जानवरों का बाडा इत्यादि बना रखे है जिनका पूर्व [illegible] भी मौका [illegible] सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपी0 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। विवादित आराजी बाबत् वाद सं. 24/2010 वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05.06.2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिए राजीनामा निर्णित किया गया है। जिसमें गंगाधर व रामखिलाडी, प्रेमराज आदि पक्षकार है। पत्रावली पर विवादित भूमि का कब्जा अधरझूल (Possession in Medio) है। इसको प्रमाणित करने के साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि भूमि को हानि व क्षति पहुंचायी जा रही है या इसकी कोई संभावना है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2018 पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात किया गया है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर के मु0नं0 153/2017 निर्णय दिनांक 17.12.2018 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.9.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner